उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः /vii–3–21/66–एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादूनः दिनांक 15 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में उद्योग स्थापना सहित विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर अनुमति के लिए विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञाओं/अनुमति हेतु "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012" एवं "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली, 2015" लागू है।

2. वर्तमान में लागू व्यवस्था में प्राधिकृत समितियों की अधिकारिता के संबंध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.08.2016 में संशोधन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन (संशोधन) अधिनियम की धारा–3 तथा उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम–6(1)(क) के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी मद में रू0 10.00 करोड़ के स्थान पर रु0 50.00 करोड तक के प्रस्ताव जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं रू0 10.00 करोड़ से अधिक के स्थान पर रु0 50.00 करोड से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को विचार कर अनुज्ञा/अनुमोदन प्रदान करने के लिये अधिकृत किये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यालय ज्ञाप संख्याः–1335/VII-2-16/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 11 अगस्त, 2016 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–886/XXVII(2)/2021 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः1568 ( ) /vii–3–21/66–एम0एस0एम0ई0/2013 तददिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड ,देहरादून।
8. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को आगामी गजट में 50 प्रतियों हेतु प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।